UPGK010069532025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थितः राज कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 211/2025,

वकील पुत्र स्व0 गोबरी, निवासी- ग्राम रक्षवापार, थाना- पिपराईच, जिला- गोरखपुर।

-------पुनरीक्षणार्थी/आवेदक।

प्रति

1- उत्तर प्रदेश सरकार,

2- श्री किशुन पुत्र स्व0 हरी,

3- रमेश पुत्र स्व0 पुजारी,

निवासीगण- ग्राम रक्षवापार, थाना- पिपराईच, जिला- गोरखपुर।

4- अल्लाउद्दीन पुत्र अव्वास, निवासी- ग्राम रमवापुर, थाना- पिपराईच, जिला- गोरखपुर।

5- मानसिंह पुत्र रामकेवल, निवासी- ग्राम सोनबरसा बाजार, थाना- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर।

6- रामकृष्ण त्रिपाठी, एडवोकेट/(दस्तावेज लेखक), कलेक्ट्री कचहरी, थाना- कैण्ट, जिला- गोरखपुर।

--------प्रतिपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 438 के अन्तर्गत पुनरीक्षणार्थी/आवेदक वकील के द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 1136/2025, वकील बनाम किशुन व अन्य के प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर पारित आदेश दिनांकित 04.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर ने पुनरीक्षणार्थी/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त कर दिया गया है।

02. इस दाण्डिक पुनरीक्षण से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणार्थी/आवेदक वकील द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के बाबा सालिक व चचेरे बाबा महगू सगे भाई थे। महंगू दिनांक 18.08.1996 को लावल्द फौतकर गये थे और उनके जीवनकाल में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया था। महंगू ने आवेदक को दिनांक 21.12.1981 को आराजी नम्बर- 152

रकबा- 0.024 डि0 व आराजी नम्बर- 202, रकबा- 0.049 डि0 यानि 73 डि0 का 1/2 भाग यानि कुल साढ़े 36 डि0 का पंजीकृत वसीयत किये थे। महंगू के जीवन काल में आवेदक के चाचा पुजारी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र रमेश व उनकी पत्नी कैलाशी देवी का नाम काफी दिनों बाद दिनांक 15.12.2003 से बतौर वारिस सरकारी कागजात में दर्ज हुआ। कैलाशी देवी व रमेश ने अपनी आराजी संख्या- 277 रकबा- 0.079 हे0 व आवेदक के चचेरे बाबा मंहगू की आराजी संख्या- 281 रकबा- 0.157 हे0 भूमि को गॉव के श्री किशुन ने अपने मेली मददगार अलाउद्दीन व मान सिंह को अपने साजिश में करके सभी लोग मिलकर धोखाधड़ी करते हुए दस्तावेज लेखक राधेकृष्ण त्रिपाठी, एडवोकेट को अपने साजिश में करके बिना किसी अधिकार के फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करते हुए महंगू के नाम की आराजी नम्बर- 281, रकबा- 0.157 हे0 जमीन मौजा- रक्षवापार, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर के भूमि का भी दिनांक 25.04.2005 को रजिस्ट्री बैनामा कर व करवा लिया और उक्त बैनामा के आधार पर तहसील कर्मचारियों को मिलाकर दिनांक 06.06.2005 को तहसीलदार न्यायिक सदर, गोरखपुर के न्यायालय से फर्जी नामान्तरण आदेश धोखाधड़ी व फरेब करते हुए महंगू का नाम कटवाकर श्री किशुन का नाम खतौनी में दर्ज करवाया। उक्त रमेश व कैलाशी देवी, श्री किशुन, गवाहान अलाउद्दीन व मान सिंह व दस्तावेज लेखक राधेकृष्ण त्रिपाठी, एडवोकेट ने आपस में साजिश करके आवेदक के बाबा महंगू, जिनकी मृत्यु दिनांक 18.08.1996 को हो चुकी है, का हक व हिस्सा हड़पने की नियत से फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उक्त कृत्य किया है। आवेदक को जानकारी होने पर उक्त अभियुक्तगण से आराजी नम्बर- 181 रकबा- 0.157 हे0 भूमि की रजिस्ट्री बैनामा के निरस्तीकरण के लिए कहा, परन्तु अभियुक्तगण तैयार नहीं हुए। घटना की सूचना आवेदक ने थाना- कैण्ट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिया, परन्तु कहीं से कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 173 (4) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

03. विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या में इस तथ्य का अंकन है कि प्रकरण से सम्बन्धित कोई प्राथमिकी थाने में पंजीकृत नहीं है।

04. उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणार्थी/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.06.2025 के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणार्थी/आवेदक ने प्रस्तुत पुनरीक्षण दाखिल किया है।

05. पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य के

विरूद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विधिक बिन्दुओ का समुचित विवेचना नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का समुचित उपयोग नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की विधिक रूप से विवेचना न करके भारी भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आराजी नम्बर- 281 रकबा- 0.157 हे0 की रजिस्ट्री बैनामा नहीं किया है, उस व्यक्ति का नाम तहसीलदार न्यायिक सदर, गोरखपुर के न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करते समय पुनरीक्षणार्थी के बाबा महंगू का नाम काटकर प्रतिपक्षी संख्या- 02 का नाम दिनांक 06.06.2005 को दर्ज करने का आदेश कर दिया है, जबकि पुनरीक्षणार्थी के बाबा महगू की मृत्यु दिनांक 18.08.1996 को हो चुकी है, इस तथ्य की अनदेखी करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिना किसी आधार व कारण के है। दाण्डिक पुनरीक्षण के माध्यम से पुनरीक्षणार्थी/आवेदक ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.06.2025 आपास्त करके विद्वान विचारण न्यायालय को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश देने का निवेदन किया है।

06. मैंने पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एवम् प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

07. पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.06.2025 अवैधानिक एवम् अनियमिततापूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन न करके मनमाना ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक भूल किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विहित क्षेत्राधिकारिता का समुचित प्रयोग नहीं किया है।

08. पत्रावली के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि आवेदक के चचेरे बाबा महगू ने दिनांक 21.12.1981 को आराजी नम्बर- 152 व आराजी नम्बर- 202 का पंजीकृत वसीयत पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के पक्ष में की थी। पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के चचेरे बाबा की मृत्यु हो जाने के उपरान्त पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेखो में अपने नाम का इन्द्राज नहीं करवाया गया। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि महंगू के नाम की भूमि का दिनांक 25.04.2005 को रजिस्ट्री बैनामा कर दिया गया। यहॉ यह भी स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2005 तक पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा कथित पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम खतौनी में दर्ज नहीं करवाया गया था। यह प्रार्थना-पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2025 में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु 2025 तक पुनरीक्षणार्थी/आवेदक अपना

नाम खतौनी में दर्ज नहीं करवाया। कैलाशी व रमेश द्वारा की गयी रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता द्वारा दिनांक 06.06.2005 को नामान्तरण खतौनी में करवा लिया गया था, किन्तु पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा वर्ष 2025 तक राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था। ऐसी परिस्थितयों में जब कि कथित रूप से कैलाशी व रमेश को महंगू द्वारा पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के पक्ष में दिनांक 21.12.1981 को की गयी पंजीकृत वसीयतनामे की जानकारी नहीं थी, तो ऐसी परिस्थितियों में ये कैसे मान लिया जाए कि पुनरीक्षणार्थी/आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर यह बैनामा किया गया था। कैलाशी व रमेश द्वारा जो विक्रय विलेख गया गया है, वह महंगू की मृत्यु के उपरान्त किया गया है। महंगू द्वारा अपनी मृत्यु वर्ष 1996 से पहले वर्ष 1981 में कोई पंजीकृत वसीयतनामा कराया गया था, ऐसा कैलाशी व रमेश की जानकारी में होना नहीं पाया जाता है। पुनरीक्षणार्थी/आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करने के पूर्व तक पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपने नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने के बावत कोई उल्लेख प्रार्थना-पत्र में नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1981 में की गयी पंजीकृत वसीयत, वसीयतकर्ता महंगू की मृत्यु वर्ष 1996 में होने के उपरान्त भी वर्ष 2025 तक प्रकाश में नहीं लायी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि दीवानी वाद को दाण्डिक वाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रार्थना-पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त कर दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में इस स्तर पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.06.2025 में प्रकटतः कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित न होने के कारण उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई न्यायोचित आवश्यकता नहीं है।

09. सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं उभयपक्ष के तर्क के आलोक में दाण्डिक पुनरीक्षण आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 211/2025, वकील प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निरस्त किया जाता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.06.2025 पुष्ट किया जाता है।

निर्णयादेश की प्रति सहित विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब वापस सम्प्रेषित किया जाय।

दिनांक/गोरखपुर
10 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करने के बाद खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक/गोरखपुर
10 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:35:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court